34

न्यायालय सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी-3941/2018/अनूपपुर/भू.रा

श्री कौशल शर्मा द्वारा आज दि. 27/6/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 4-7-18 नियत।
रीडर ऑफ कोर्ट 27/6/18
राजस्व मण्डल, म.प्र.

1. श्रीमती गायत्री देवी उम्र लगभग 58 वर्ष बेवा बनवारी लाल खेमका
2. सुनील कुमार उम्र 44 वर्ष, पिता बनवारी लाल खेमका
3. श्रीमती सुनीता अग्रवाल पिता बनवारी लाल खेमका उम्र लगभग 41 वर्ष
4. श्रीमती रेखा अग्रवाल पिता बनवारी लाल खेमका उम्र 38 वर्ष
5. संदीप कुमार खेमका पिता बनवारी लाल खेमका उम्र 35 वर्ष

सभी निवासी ग्राम अनूपपुर म0प्र0 तह. अनूपपुर, जिला–अनूपपुर (म0प्र0)

......................पुनरीक्षणकर्तागण

टीपः– अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षणकर्ता के पिता बनवारी लाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी जिसका की दिनांक 15.05.2018 को देहांत हो गया है, जिसके फलस्वरूप बनवारी लाल के वैध वारिसानों की ओर से यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

बनाम

बद्री सोनी पिता राममिलन सोनी निवासी अनूपपुर बस्ती तह. अनूपपुर जिला–अनूपपुर (म.प्र.)

............................गैर पुरीक्षणग्रहिता

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. वास्ते अधीनस्थ न्यायालय कमीशनर शहडोल संभाग शहडोल म.प्र. के प्रकरण क्रं. 66/अपील/2008–09 पक्षकार बनवारी लाल बनाम बद्री सोनी में पारित आदेश दिनांक 28.04.2018 के विरूद्धः–

प्रकरण के तथ्यः–

1. यह कि, ग्राम अनूपपुर, तह. अनूपपुर में स्थित **भूमि** खसरा नं. 712 रकबा 0.42ए. भूमि को बनवारी लाल द्वारा सुखरनिया बाई से पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर क्रय कर दाखिल काबिज हुआ और विक्रय पत्र **के** आधार पर उक्त भूमि का नामांतरण पंजी क्रं. 182 पर दिनांक 22.12.1970 में **विधिवत** नामांतरण आदेश पारित कर राजस्व अभिलेखों में बनवारीलाल का नाम **विधिवत** दर्ज कर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किये गये। कभी किसी द्वारा कोई आपित्त नहीं **की** गयी।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग.–3941/2018/अनूपपुर/भू.रा.

श्रीमती गायत्री देवी आदि विरूद्ध बद्री सोनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19 –09–18	प्रकरण प्रस्तुत । प्रकरण में दिनांक 04.09.2018 को आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कुणाल शर्मा उपस्थित। उन्हें कायमी के तर्क पर सुना गया । 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के प्र0क्र0 66/अपील/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 28.04.2018 के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। 3/ मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त शहडोल के आदेश का अवलोकन किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 712 रकबा 0.40 एकड़ के भूमिस्वामी सुखरनिया एवं बद्री सोनी थे। सह–भूमिस्वामी सुखरनिया ने दिनांक 11.02.1965 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से रुपये 500/– में आवेदिका के पति स्व: श्री बनवारी लाल को भूमि विक्रय किया और विक्रय पत्र के आधार पर अधीक्षक भू–अभिलेख शहडोल द्वारा नामांरण पंजी क्रमांक 182 प्रविष्टि दिनांक 22.12.1970 में भूमिस्वामी सुखरनिया 1/2 बद्री 1/2 लेख कर दिनांक 27.07.1979 को स्व. बनवारी के नाम नामांतरण स्वीकार किया । अब प्रश्न यह उठता है कि वर्ष 1965 में हुये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर 1970 में नामांतरण पंजी क्रमांक 182 पर दिनांक 22.12.1970 को प्रविष्टि	

19.9.18

की जाकर दिनांक 27.07.1979 को नामांतरण कैसे प्रमाणित किया गया, जबकि नामांतरण पंजी की प्रमाणित छायाप्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी सुखरनिया एवं बद्री सोनी है तथा सुखरिया ने अकेले ही प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय किया है। स्व. बनवारी के नाम नामांतरण प्रमाणित होने के उपरांत अनावेदक बद्री सोनी द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 114(3) सहपठित धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र करने पर तहसीलदार ने संहिता की धारा 115 के तहत बने प्रावधान के अनुरूप में कार्यवाही प्रारंभ कर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये अभिलेखों में की गई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया तथा 1/2 भाग अर्थात 0.20 एकड़ पर स्व. बनवारी का नाम यथावत रखते हुये 0.20 एकड़ पर अनावेदक बद्री सोनी का नाम प्रविष्टि करने का आदेश दिया, जिसे अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर ने तहसीलदार के द्वारा निकाले गये निष्कर्ष को सही पाते हुये आदेश दिनांक 19.04.2001 से स्थिर बनाये रखा है । तहसीलदार का आदेश तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अपर आयुक्त ने पूर्ण विवेचना कर आदेश दिनांक 28.04.2018 से यथावत बनाये रखा है ।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने से निगरानी आवेदन अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्षों के अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 9.9.18
सदस्य